



निर्वाचन भवन  
58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011  
Email - commissionersec@gmail.com  
Ph.No. - 0755-2555527

## मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

—0—

क्रमांक-एफ-52NN-01/2021/पांच/२६

भोपाल, दिनांक: ०५/०१/२०२१

प्रति,

कलेक्टर एवं  
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.)  
जिला-समस्त  
मध्यप्रदेश।

विषय : नगरपालिकाओं की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2021 हेतु प्रक्रिया एवं कार्यक्रम।

Subject : Programme and Process of Annual revision 2021 of Photo Electoral Roll for Municipalities.

—00—

1. मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-14, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-8 के प्रावधानों के अनुक्रम में दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में नगरपालिकाओं की मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण किया जाना है।
2. मतदाता सूची वार्षिक पुनरीक्षण 2021 का कार्यक्रम (परिशिष्ट-एक) पर संलग्न है। पुनरीक्षण सम्बंधी विस्तृत प्रक्रिया अधोलिखित कंडिकाओं में वर्णित है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी और अन्य सभी सम्बंधितों को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण के लिए आयोग द्वारा म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल को राज्य स्तरीय एजेंसी (एस.एल.ए.) नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। SLA द्वारा आपके जिले के लिए वेण्डर का चयन किया जाकर आपको सूचित किया जा चुका है। वेण्डर द्वारा पूर्व में ही जिले में आवश्यक स्टाफ और कम्प्यूटर इत्यादि की व्यवस्था की जा चुकी है। कृपया वेण्डर द्वारा की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा कर लें और पर्याप्त समय पूर्व यथा आवश्यक सुधार भी कर लें।
4. दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में प्रत्येक नगरपालिका की वार्डवार दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में तैयार फोटोयुक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना है।
5. समस्त नगरपालिकाओं की दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में वार्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार है। अब दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में फोटोयुक्त मतदाता सूची पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया 03 चरणों में सम्पन्न की जायेगी।
  - प्रथम चरण – कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन और अपडेशन। कंट्रोल टेबल में संशोधन होने पर संशोधन अनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट करने की कार्यवाही।
  - द्वितीय चरण – विधानसभा की मतदाता सूची में बड़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित नगरपालिका वार्ड में जोड़ा जायेगा, विलोपित मतदाताओं को हटाया जायेगा और संशोधित मतदाताओं की जानकारी को संशोधित किया जाकर एकीकरण उपरांत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।
  - तृतीय चरण में दावे आपत्ति प्राप्त की जाकर उनका निराकरण किया जाकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा।

निरंतर.....02

**प्रथम चरण**  
**कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन**

6. वेण्डर द्वारा कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट (सैम्पल संलग्न-1 अनुसार) प्रदाय की जायेगी। चैकलिस्ट में नगरपालिका, वार्ड और मतदान केन्द्रों का विवरण अंकित होगा।
7. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन दर्ज करना होगा। यदि वेरिफिकेशन नहीं किया जायेगा तो ERMS में आगामी कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी।
8. यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन नहीं किया जाना है तो कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सत्यापन अनुसार वेण्डर द्वारा वेरिफिकेशन की कार्यवाही की जा सकेगी, लेकिन यदि कंट्रोल टेबल में कोई संशोधन किया जाना है तो आवश्यकतानुसार संशोधन ERMS में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से ही दर्ज किया जा सकेगा।
9. यदि पंचायतों और नगरपालिकाओं के सम्बंध में परिसीमन और वार्ड विभाजन के कारण कंट्रोल टेबल में संशोधन किया गया है तो संशोधन अनुसार आधार पत्रक तैयार कर मार्किंग को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेरिफाई किया जाये और तदनुसार मतदाताओं को सम्बंधित संशोधित क्षेत्रों में शिफ्ट (Import) करने की कार्यवाही की जाये।
10. वर्ष 2019 और 2020 में हुए पुनरीक्षण में यह देखने में आया है कि कतिपय पंचायतों के नगरपालिका में शामिल होने के उपरांत भी सम्बंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त पंचायतों की कंट्रोल टेबल को अपडेट नहीं किया गया है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) को कंट्रोल टेबल को अपडेट कर आवश्यकतानुसार मतदाताओं को डिलीट करने अथवा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका) से शिफ्ट (Import) कराने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) से समन्वय करते हुए उचित कार्यवाही इस प्रकार किया जाना सुनिश्चित करें कि न तो मतदाताओं की डुप्लिकेट शिफ्टिंग हुई हो और न ही कुछ मतदाता शिफ्टिंग के स्थान पर डिलीट हो जायें।
11. कंट्रोल टेबल के सम्बंध में उपरोक्त कंडिकाओं में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के उपरांत ही विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जनरेट की जाये। यदि कंट्रोल टेबल के अपडेशन के पूर्व उक्त सूचियाँ जनरेट की जायेंगी तो सूचियों में त्रुटियों की सम्भावना रह सकती है।

**द्वितीय चरण**  
**विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर**  
**नगरपालिका की प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना**

12. इस चरण में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ की जायेगी :-

- i. शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची जनरेट करना.
- ii. शिफ्टिंग सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2021) में बड़े और नये जोड़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2020) में सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड में शिफ्ट करना.
- iii. विलोपन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2021) में विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2020) के सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड से हटाना.
- iv. संशोधन वेरिफिकेशन सूची के आधार पर विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2021) में मतदाताओं की संशोधित जानकारी को नगरपालिका की अंतिम मतदाता सूची (दिनांक 01.01.2020) में यथासंशोधित करना.
- v. शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही उपरांत एकीकरण कर ERMS (Electoral Roll Management System) से फोटोयुक्त एवं फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करना।
- vi. फोटोरहित जनरेटेड प्रारूप मतदाता सूची को डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाईट पर अपलोड करना।

- vii. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची को प्रिन्ट कर विहित स्थानों पर प्रकाशित करना।
- viii. प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की जानकारी और प्रचार प्रसार, जन जागरूकता हेतु जिला एवं नगरपालिका स्तर पर स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन।
- ix. प्रारूप मतदाता सूची को प्रकाशित किये जाने का प्रमाणपत्र ERMS पर अपलोड करना।

**नये एवं बड़े हुए मतदाताओं को  
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करना**

- 13. वेण्डर द्वारा शिफ्टिंग सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बड़े हुए मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए मार्किंग सूची) (सम्पल संलग्न-2 अनुसार) प्रदाय की जायेगी। इस सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बड़े हुए मतदाताओं की जानकारी अनुभागवार होगी।
- 14. शिफ्टिंग सूची में मतदाता के नाम के आगे नगरपालिका, मोहल्ला, अनुभाग और वार्ड नम्बर की मार्किंग करने के लिए रिक्त खाने बने हुए हैं।
- 15. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी नये एवं बड़े हुए मतदाताओं को सम्बंधित नगरपालिका एवं वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, शिफ्टिंग सूची के खाने में नगरपालिका, मोहल्ला, अनुभाग और वार्ड नम्बर दर्ज करेगा।
- 16. शिफ्टिंग सूची में दर्ज शतप्रतिशत समस्त मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
- 17. शिफ्टिंग सूची में शतप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में शिफ्टिंग की प्रविष्टि की जायेगी।
- 18. शिफ्टिंग सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं को पंचायत अथवा नगरपालिका में शिफ्ट करने के लिए निर्धारित खाने में मार्किंग होना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता शिफ्टिंग की मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को शिफ्टिंग सूची में मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

**विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को  
पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन**

- 19. वेण्डर द्वारा विलोपन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) (सम्पल संलग्न-3 अनुसार) प्रदाय की जायेगी। विलोपन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज हैं।
- 20. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे विलोपन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली खाना बना हुआ है।
- 21. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी विलोपित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में विलोपित मतदाता की जानकारी का मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से नहीं होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।
- 22. इसका आशय यह है कि विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन करते समय क्रॉस का निशान केवल उस स्थिति में लगाया जायेगा जबकि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता के सम्बंध में नगरपालिका की मतदाता सूची की जानकारी का मिलान नहीं होता हो। अर्थात् विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाता कोई और हो और नगरपालिका की मतदाता सूची में विलोपन के सत्यापन के लिए दी गई जानकारी में कोई और मतदाता हो।

23. यह स्पष्ट है कि विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित समस्त मतदाताओं को अनिवार्य रूप से नगरपालिका की मतदाता सूची से हटाया जायेगा। विलोपन का वेरिफिकेशन करते समय प्राधिकृत कर्मचारी और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस आधार पर नाम बनाये रखने का निर्णय नहीं ले सकते कि विधानसभा की मतदाता सूची से नाम गलत तरीके से हटाया गया है। ऐसे सभी मामले दावे आपत्ति के समय विचारण में लिये जायेंगे।
24. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
25. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में शतप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं को हटाने की प्रविष्टि की जायेगी।
26. विलोपन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को विलोपन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

#### **विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन**

27. वेण्डर द्वारा संशोधन वेरिफिकेशन सूची (विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची) (सम्पल संलग्न-4 अनुसार) प्रदाय की जायेगी। संशोधन वेरिफिकेशन सूची में विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाताओं की जानकारी होगी और यह भी जानकारी अंकित होगी कि उक्त मतदाताओं के नाम नगरपालिका की मतदाता सूची में किस स्थान पर दर्ज है।
28. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मतदाता के नाम के आगे संशोधन का सत्यापन करने के लिए मार्किंग हेतु खाली खाना बना हुआ है।
29. विधानसभा की अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची और नगरपालिका की विगत वर्ष प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची की तुलना और आवश्यकतानुसार परीक्षण कर प्राधिकृत कर्मचारी संशोधित मतदाताओं के सत्यापन की मार्किंग करेगा। यदि विधानसभा की मतदाता सूची में संशोधित मतदाता की जानकारी का मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से होता है तो सही का निशान लगायेगा और यदि मिलान नगरपालिका की मतदाता सूची में दर्ज मतदाता से नहीं होता है तो क्रॉस का निशान लगायेगा।
30. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शतप्रतिशत मतदाताओं के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा सत्यापन की मार्किंग उपरांत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उक्त सूची को वेरिफाई किया जायेगा।
31. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में शतप्रतिशत मतदाताओं की मार्किंग होने के उपरांत वेण्डर द्वारा ERMS में उक्त मतदाताओं की जानकारी को संशोधित करने की प्रविष्टि की जायेगी।
32. संशोधन वेरिफिकेशन सूची में दर्ज शत प्रतिशत मतदाताओं के सत्यापन के सम्बंध में मार्किंग किया जाना जरूरी है। यदि एक भी मतदाता सत्यापन मार्किंग से छूट जायेगा तो ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं होगी। अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संशोधन वेरिफिकेशन सूची में सत्यापन मार्किंग की कार्यवाही सावधानीपूर्वक करवाना चाहिए।

#### **शिफ्टिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण**

33. शिफ्टिंग सूची विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर जनरेट की जायेगी। यह सम्भव है कि एक शिफ्टिंग सूची में दर्ज कुछ नाम पंचायत में और कुछ नाम नगरपालिका में शिफ्ट किये जाना हों। ऐसी कतिपय स्थितियों में विवाद की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है।

34. यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत स्थित है, तो शिपिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
35. यदि सम्बंधित पंचायत और नगरपालिका, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, तो शिपिंग के सम्बंध में विवाद का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन आदि नगरपालिका निगम क्षेत्रों में एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में भी शिपिंग के विवाद सम्बंधी मामलों का निराकरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।
36. विवाद के निराकरण के लिए जिला कलेक्टर एवं सम्बंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सम्बंधित क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक कर यह तय करेंगे कि किस मतदाता को ग्राम पंचायत में शिपट करना है और किस मतदाता को नगरपालिका के वार्ड में शिपट करना है। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिपिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।
37. कुछ विधानसभा क्षेत्र दो-दो जिलों में भी स्थित हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-78 और 82 सीधी-सिंगरौली जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-167 आगरमालवा-शाजापुर जिलों में, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-193 झाबुआ-अलीराजपुर जिलों में और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-23 शिवपुरी-दतिया जिलों में आता है। इन जिलों में यदि कोई शिपिंग सम्बंधी विवाद होता है तो विवाद का निराकरण क्रमशः सीधी, आगरमालवा, झाबुआ और शिवपुरी के जिला कलेक्टर द्वारा सम्बंधित अन्य जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों से बैठक कर किया जायेगा। बैठक का कार्यवाही विवरण लिपिबद्ध किया जायेगा और तदनुसार रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिपिंग सूची में मार्किंग कर वेरिफिकेशन करेंगे।

#### प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करना

38. शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग के लिए प्रति वार्ड न्यूनतम एक प्राधिकृत कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतदाताओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में एक वार्ड में एक से अधिक प्राधिकृत कर्मचारी भी नियुक्त किये जा सकते हैं।
39. शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की प्रविष्टि ERMS में की जाकर एकीकरण उपरांत फोटोयुक्त और फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची जनरेट की जायेगी। यदि शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की मार्किंग से एक भी मतदाता छूट जायेगा तो ERMS प्रारूप मतदाता सूची जनरेट नहीं करेगा।
40. शिपिंग, विलोपन और संशोधन वेरिफिकेशन की जानकारी ERMS में सही सही किये जाने की चैकिंग रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सावधानीपूर्वक चैकलिस्ट से कर लेना चाहिए। वेण्डर द्वारा प्रविष्टि में की गई त्रुटि को नज़र अंदाज़ करने से मतदाता सूची दूषित हो सकती है।
41. ERMS से प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करने के बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से उसकी फोटोरहित प्रति को वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। डिजिटली साईन्ड प्रारूप मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड होने की स्थिति में ही यह माना जायेगा कि प्रारूप मतदाता सूची जनरेट कर ली गई है। चूंकि यह कार्य निर्धारित समय पर होना है, अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रारूप मतदाता सूची जनरेट करने और उसे वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही पूर्ण सचेत रहकर नियत समय पर करना होगी।
42. फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रिन्ट कर मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-4(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट स्थानों पर निरीक्षण के लिए प्रकाशित किया जायेगा। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संलग्न-5 में निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र तैयार

कर ERMS में स्कैन कर अपलोड करेंगे। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व अनिवार्य रूप से सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से भी यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए।

43. प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के तत्काल उपरांत स्टेडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाये। जिला स्तर पर कलेक्टर और नगरपालिका स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाये। जिला स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साथ जिला मुख्यालय की नगरपालिका के सदस्यों और अन्य नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी बुलाया जाये। नगरपालिका स्तरीय स्टेडिंग कमेटी में राजनैतिक दलों के नगरपालिका स्तर के प्रतिनिधियों के साथ साथ नगरपालिका के सदस्यों को भी बुलाया जाये। बैठक में प्रारूप मतदाता सूची, जाँच सूची, डुप्लिकेट सूची आदि सहित दावे आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया जाये।

#### तृतीय चरण

#### प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करना, उनका निराकरण करना और अंतिम मतदाता सूची तैयार करना

44. दावा आपत्ति केन्द्रों पर, प्रारूप मतदाता सूची के सम्बंध में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा दावे एवं आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे। आयोग द्वारा दावा आपत्ति सम्बंधी विहित आवेदन पत्रों के प्रारूप में परिवर्तन कर नये प्रारूप ER-1 (परिवर्धन), ER-2 (विलोपन) और ER-3 (संशोधन) जारी किये हैं। उक्त सभी आवेदन पत्रों की एक समेकित बुकलेट मय मार्गदर्शिका तैयार की गई है, उक्त बुकलेट प्राधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
45. विगत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में विधानसभा की मतदाता सूचियों में गम्भीर त्रुटियाँ होने के मामले समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त क्षेत्रों में विशेष जाँच कर मतदाता सूचियों को शुद्ध करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन यदि किसी क्षेत्र में मतदाता सूची की जाँच उपरांत कतिपय मतदाताओं के नाम विलोपित करने का निर्णय (राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार दावे आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक) लिया जाता है तो उस निर्णय के अनुसार सम्बंधित नगरपालिका की मतदाता सूची से भी उक्त मतदाताओं के नाम सीधे सीधे विलोपित कर दिये जाये।
46. मतदाता सूची के सम्बंध में प्राप्त दावे आपत्ति के आवेदन पत्रों पर राज्य स्तरीय एजेन्सी द्वारा प्रदाय बारकोड स्टीकर चस्पा किया जाये। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे आपत्ति का निराकरण डिजिटल हस्ताक्षर कर किया जायेगा। दावे आपत्ति के सम्बंध में वेण्डर द्वारा किये गये कार्य की जाँच चैकलिस्ट से अनिवार्य तौर पर कर ली जाये।
47. दावे आपत्तियों वाले मतदाताओं के प्रकरणों के निराकरण के पश्चात् नगरपालिका की अनुपूरक सूची तैयार कर दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में अंतिम मतदाता सूची तैयार की जायेगी।
48. प्रारूप मतदाता सूची की भांति अंतिम मतदाता सूची भी ERMS से जनरेट की जायेगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर कर वेबसाइट पर उसकी फोटोरहित प्रति अपलोड की जायेगी और फोटोयुक्त मतदाता सूची को प्रिन्ट निकालकर नियत स्थानों पर प्रकाशित किया जायेगा। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के सम्बंध में निर्धारित प्रारूप संलग्न-6 में मय प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उक्त प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व सभी प्राधिकृत कर्मचारियों से उक्त प्रमाणपत्र अनिवार्य तौर से प्राप्त कर लेना चाहिए।

**प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की प्रिन्टिंग**

49. आम अथवा उप चुनाव नहीं होने की स्थिति में प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निम्नानुसार संख्या में प्रतियाँ प्रिन्ट की जायेगी :-

| मतदाता सूची                   | प्रिन्ट की संख्या | उपयोग                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची | 11 (डबल साईड)     | 1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय.<br>2. सम्बंधित नगरपालिका कार्यालय.<br>3. सम्बंधित वार्ड कार्यालय या पास के निर्दिष्ट स्थान पर.<br>4. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए (07 प्रति).<br>पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए एवं एक अतिरिक्त कार्यालय प्रति.        |
| फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची   | 11 (डबल साईड)     | 1. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय.<br>2. सम्बंधित नगरपालिका कार्यालय.<br>3. सम्बंधित वार्ड कार्यालय या पास के निर्दिष्ट स्थान पर.<br>4. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के लिए (07 प्रति).<br>पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने के लिए एवं<br>5. जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु. |

50. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिन क्षेत्रों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जायेगा, वहाँ पर फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची की निम्नानुसार संख्या में प्रतियाँ प्रिन्ट की जायेंगी :-

| मतदाता सूची                 | प्रिन्ट की संख्या                                                                                                                                                                                   | उपयोग                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची | 1. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रति मतदान केन्द्र 02 अतिरिक्त प्रतियाँ (डबल साईड).<br>2. जहाँ चुनाव होना है, उस क्षेत्र के लिए प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी के लिए 02 (डबल साईड) प्रतियाँ। | 1. हर मतदान केन्द्र पर मतदान दल को उपलब्ध कराने के लिए 02 प्रतियाँ (डबल साईड).<br>2. रिटर्निंग ऑफिसर एक प्रति अपने लिये रखेंगे और एक प्रति को विभाजित कर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र के अनुसार उपलब्ध करायेंगे। |

51. प्रारूप मतदाता एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या से अधिक प्रतियाँ किसी भी स्थिति में मुद्रित न की जाये। उक्त प्रतियाँ डबल साईड प्रिन्ट की जायें। आयोग की लिखित अनुमति के बगैर निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में मतदाता सूची की प्रतियाँ मुद्रित करने पर होने वाले व्यय के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।

52. मतदाता सूची की सॉफ्ट कापी सी.डी. में तैयार की जायेगी। जिले के नगरपालिक निगम की एक सी.डी. रहेगी तथा शेष नगरीय निकायों की एक सी.डी. तैयार की जायेगी। सी.डी. में मतदाता सूची डिजिटल हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित की जायेगी। नगरपालिकाओं (नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद्) उनसे सम्बंधित क्षेत्रों की मतदाता सूची की एक सी.डी. निःशुल्क प्रदाय की जाये।

53. अन्य रुपये 100/- प्रति सी.डी. का भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। रुपये 2/- प्रति पृष्ठ के हिसाब से अंतिम मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदाय की जायेगी।

1. मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के सुचारु संचालन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में निम्नलिखित कार्यवाहियाँ समयसीमा में सुनिश्चित करवाना होंगी :-

- रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, प्राधिकृत कर्मचारी आदि की नियुक्ति और समयसीमा में प्रशिक्षण।

- सभी सम्बंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आयोग द्वारा जारी निर्देश, परिपत्र एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
  - मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की डेशबोर्ड से ऑनलाईन नियमित मॉनिटरिंग करना और समयसीमा में सभी कार्यवाहियों सुनिश्चित करवाना।
  - कंट्रोल टेबल के संशोधन और अपडेशन के सम्बंध में समन्वय करना।
  - शिफ्टिंग सम्बंधी विवादों के निराकरण के लिए यथासमय बैठक आयोजित कराना।
  - प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची को नियत समय पर जिले की वेबसाईट पर अपलोड कराना।
  - स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन कराना।
  - वेण्डर से समन्वय कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की कठिनाईयों को समय सीमा में निराकरण कराना।
  - प्रारूप एवं अंतिम मतदाता सूची की निर्धारित संख्या में समयसीमा में प्रिन्टिंग सुनिश्चित करना।
54. राजनैतिक दलों की सहभागिता हेतु मतदाता सूची एजेंट की नियुक्ति आयोग के पत्र क्रमांक एफ-52-7/2009/तीन/832 दिनांक 27.08.2009 के निर्देशानुसार कराया जाना सुनिश्चित करें।
55. गणमान्य नागरिक, वरिष्ठजन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न जाये, इसका विशेष ध्यान रखा जाये।
56. आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम (परिशिष्ट-एक) अनुसार नगरपालिका की मतदाता सूची दिनांक 01.01.2021 की स्थिति में वार्षिक पुनरीक्षण कराया जाना सुनिश्चित करें।
57. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण पर नियंत्रण हेतु जारी गाइड लाइन का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
58. आयोग के पत्र क्रमांक-एफ-52NN-01/2020/पाँच/331 दिनांक-27/06/2020 द्वारा दावा आपत्ति केन्द्रों पर दावे आपत्ति प्राप्त करने की अवधि के दौरान जारी दिशा-निर्देश का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
59. पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति तत्काल ई-मेल द्वारा भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

5 | - + h  
(डी. व्ही. सिंह) 4.1.2021  
सचिव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग



पृष्ठा. क्रमांक-एफ-52NN-01/2021/पांच/२७  
प्रतिलिपि -

भोपाल, दिनांक ०५/०१/२०२१

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव (कार्मिक) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास संचालनालय, शिवाजी नगर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
10. आयुक्त, पंचायतीराज संचालनालय, अरेश हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
11. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश पुलिस भोपाल।
12. संभागीय आयुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
13. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु अग्रेषित।
14. आयुक्त-सह-नियंत्रक/उप नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, म.प्र. भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा की ओर अग्रेषित।
15. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल।
17. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल।
18. उप संचालक (बजट) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर बजट आवंटन की कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
19. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के समस्त अधिकारियों की ओर सूचनार्थ/योग्य कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
20. व्यय लेखा/स्टोर (स्थापना/निर्वाचन) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
21. आई.टी. शाखा प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग।
22. गार्ड फाईल।

अरुण परमार .

(अरुण परमार) ०५/०१/२०२१

उप सचिव

म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग

## Control Table Checklist of Urban Bodies

26/04/2018

जिले का नाम : हरदा

नगर पालिका परिषद का नाम : हरदा

| वार्ड नं. | वार्ड का नाम                    | भाग क्र. | मतदान केन्द्र क्र व नाम                                             | मोहल्ला क्र. | मोहल्ले का नाम                                    | कुल मतदाता |
|-----------|---------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|
| 1         | जयप्रकाश नारायण वार्ड           | 1        | 1 - वनमंडलाधिकारी कार्यालय सामान्य उत्तरी खंड                       | 1            | पानी की टंकी क्षेत्र                              | 904        |
|           |                                 | 2        | 2 - नेताजी सुभाषचंद्र बोस माध्यमिक शाला पश्चिमी खंड कक्षा क्रमांक 1 | 2            | राज मोहल्ला                                       |            |
|           |                                 | 3        |                                                                     | 1            | गोलापुरा                                          | 759        |
| 2         | चंद्रशेखर आजाद वार्ड हरदा       | 1        | 3 - खेडीपुरा प्राथ. शाला क. न. 01                                   | 1            | नई आबादी बेलदार चौक                               | 1043       |
|           |                                 | 2        | 4 - खेडीपुरा प्राथ. शाला क. न. 02                                   | 1            | मांग मोहल्ला कहारवाडी गौर कालोनी                  | 1053       |
| 3         | मोहनदास करमचंद गांधी वार्ड हरदा | 1        | 5 - खेडीपुरा प्राथ. शाला नवनिर्मित कक्ष                             | 1            | बेलदार मोहल्ला रोड क्षेत्र                        | 761        |
|           |                                 | 2        | 6 - आंगन बाडी केन्द्र 12 खेडीपुरा                                   | 1            | गाडरी मंदिर क्षेत्र                               | 574        |
| 4         | हनुमान वार्ड                    | 1        | 7 - खेडीपुरा मा. शाला क. न. 01                                      | 1            | जोशी मोहल्ला एवं खेडापति मंदिर क्षेत्र            | 1196       |
| 5         | नरसिंह वार्ड हरदा               | 1        | 8 - नगरपालिका कार्या. राजस्व हाल उत्तरीय खंड                        | 1            | बाजार क्षेत्र                                     | 824        |
| 6         | शहीद भगतसिंह वार्ड              | 1        | 9 - नगरपालिका कार्या. राजस्व हाल दक्षिणी खंड                        | 1            | जैन मंदिर क्षेत्र                                 | 886        |
| 7         | राधा कृष्णन वार्ड हरदा          | 1        | 10 - केन्द्रीय विद्यालय पूर्वी खंड क्रं. 1                          | 1            | शीतला माता मंदिर क्षेत्र एवं गजानंद मंदिर क्षेत्र | 753        |
| 8         | बाबू जगजीवनराम वार्ड हरदा       | 1        | 11 - शा. कला एवं महा.विद्यालय हाल कमरा नं.1                         | 1            | खेडीपुरा मजिस्ट के पास बेलदार मोहल्ला             | 701        |
|           |                                 | 2        | 12 - शा. कला एवं महा.विद्यालय कमरा नं.2                             | 1            | कसेरा मोहल्ला गोलापुरा के पास गोसाई मंदिर         | 608        |
| 9         | छत्रपति शिवाजी वार्ड            | 1        | 13 - नगरपालिका कार्या. योजना शाखा हाल                               | 1            | शिवाजी चौक क्षेत्र                                | 823        |
| 10        | इंदिरा गांधी वार्ड हरदा         | 1        | 14 - केन्द्रीय विद्यालय पश्चिमी खंड क्रं.2                          | 1            | बडा मंदिर क्षेत्र                                 | 1000       |
| 11        | गणेशशंकर विद्यार्थी वार्ड       | 1        | 15 - नगरपालिका पूर्व मा. शाला कमरा नं. 1                            | 1            | अन्नापुरा मजिस्ट क्षेत्र                          | 733        |
|           |                                 | 2        | 16 - नगरपालिका पूर्व मा. शाला कमरा नं. 2                            | 1            | सत्यनारायण मंदिर क्षेत्र                          | 793        |
| 12        | व्ही व्ही गिरी वार्ड            | 1        | 17 - केन्द्रीय विद्यालय दक्षिणी खंड कमरा नम्बर 3                    | 1            | अली पेथोलाजी एवं तिलक भवन के सामने का क्षेत्र     | 875        |
| 13        | राजीव गांधी वार्ड हरदा          | 1        | 18 - नगर पालिका सामुदायिक भवन वार्ड क्रमांक 13                      | 1            | जत्रापडाव क्षेत्र                                 | 913        |
| 14        | डॉ भीमराव अम्बेडकर वार्ड        | 1        | 19 - शास.प्रा. शाला शुक्रवारा कमरा नं. 2                            | 1            | मानपुरा स्कूल के सामने                            | 1008       |
|           |                                 | 2        | 20 - शुक्रवारा प्रा. शाला कमरा नं. 3                                | 1            | मानपुरा स्कूल के पीछे रोड के पार नदी किनारे       | 774        |
| 15        | आचार्य विनोबाभावे वार्ड हरदा    | 1        | 21 - शुक्रवारा प्रा. शाला कमरा नं.1                                 | 1            | राजमा चौक एवं नूरी मस्जिद क्षेत्र                 | 916        |
| 16        | सरदार बल्लभभाई पटेल वार्ड हरदा  | 1        | 22 - कार्यापालन यंत्री लो.नि.विभाग कार्या. पूर्वी खंड               | 1            | सिविल लाइन                                        | 785        |
|           |                                 | 2        | 23 - कार्यापालन यंत्री लो.नि.विभाग कार्या.पश्चिमी खंड               | 1            | प्रताप टाकीज से मुल्ला जी के नाले तक              | 1017       |
|           |                                 | 3        | 24 - कार्यापालन यंत्री लो.न.उत्तरी खंड                              | 1            | हरदा इन्दौर मेन रोड                               | 616        |
| 17        | लाला लाजपतराय वार्ड हरदा        | 1        | 25 - अनुविभागीय अधिकारी पचोला उपनहर अनुविभाग कार्यालय जल संसाधन     | 1            | तवा कालोनी व हुडको कालोनी                         | 959        |
|           |                                 | 2        | 26 - कार्यपालन यंत्री कार्यालय जल संसाधन                            | 1            | दूधडेयरी श्यामा नगर                               | 916        |
|           |                                 | 3        | 27 - जिला पंचायत कार्यालय सभा कक्ष                                  | 1            | दूध डेयरी शिक्षक कालोनी                           | 862        |

विधानसभा की मतदाता सूची में नये एवं बड़े हुए मतदाताओं को  
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत में शिफ्ट करने के लिए सूची

शिफ्टिंग सूची

विधानसभा : 135 - हरदा

भाग संख्या : 1

शिफ्टिंग के लिए मार्किंग

| मतदाता क्रमांक                                    | गृह संख्या | निर्वाचक का नाम | पिता/पति का नाम | लिंग | आयु | ईपिक संख्या | फोटो                                                                                | क्षेत्र | U R | वार्ड नंबर | पंचायत क्र व नाम | भाग संख्या | वार्ड नंबर | मोहता क्र. |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------------|------------|------------|------------|
| अनुभाग : 1-साल्याखेड़ी, ग्राम-साल्याखेड़ी, 461331 |            |                 |                 |      |     |             |                                                                                     |         |     |            |                  |            |            |            |
| 83                                                | 5          | गोपाल भाबरे     | पिता भीमसिंह    | M    | 22  | WMQ1034875  |    |         |     |            |                  |            |            |            |
| 84                                                | 5          | सुनीता          | पति राकेश       | F    | 20  | WMQ110337   |    |         |     |            |                  |            |            |            |
| 166                                               | 12         | रोशनी           | पिता बूढ़ा      | F    | 23  | WMQ1034883  |    |         |     |            |                  |            |            |            |
| 167                                               | 12         | सुनील           | पिता बुद्धा     | M    | 19  | WMQ1051051  |    |         |     |            |                  |            |            |            |
| 212                                               | 16         | राजेश           | पिता कल्लुसिंह  | M    | 25  | WMQ1034867  |    |         |     |            |                  |            |            |            |
| 323                                               | 35         | रजनी            | पिता रामभरोस    | F    | 20  | WMQ1100619  |   |         |     |            |                  |            |            |            |
| 385                                               | 43         | ममता            | पति राकेश       | F    | 19  | WMQ1107556  |  |         |     |            |                  |            |            |            |
| 435                                               | 48         | संगीता          | पति राजेश       | F    | 32  | WMQ1051069  |  |         |     |            |                  |            |            |            |
| 439                                               | 48         | संगीता          | पति संदिप       | F    | 24  | WMQ1051077  |  |         |     |            |                  |            |            |            |
| 444                                               | 49         | आनंद            | पिता हरि        | M    | 19  | WMQ1100627  |  |         |     |            |                  |            |            |            |

विधानसभा की मतदाता सूची से विलोपित मतदाताओं को  
नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची से हटाने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची  
विलोपन - वेरिफिकेशन सूची

नगर पालिका परिषद - हरदा

जिला : हरदा

वार्ड संख्या : 5 , भाग संख्या : 1

| विधानसभा में विवरण |                         |                                                                                   |  | नगरीय निकाय में विवरण       |                     |                                                                                     |                          |  |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| निर्वाचक का नाम    | पिता/पति का नाम         | फोटो                                                                              |  | मतदाता क्र. निर्वाचक का नाम | पिता/पति का नाम     | फोटो                                                                                | सत्यापन मार्किंग         |  |
| ईपिक संख्या        | लिंग आयु विलोपन का कारण |                                                                                   |  | ईपिक संख्या                 | लिंग आयु गृह संख्या |                                                                                     | (√/X)                    |  |
| शिवप्रसाद          | पिता नाथूराम            |  |  | 125 शिवप्रसाद               | पिता नाथूराम        |  | <input type="checkbox"/> |  |
| BYS0107516         | M 82 Expired            |                                                                                   |  | BYS0107516                  | M 81 44             |                                                                                     |                          |  |
| मुरुजा खां         | पिता बाबू खां           |  |  | 443 मुरुजा खां              | पिता बाबू खां       |  | <input type="checkbox"/> |  |
| BYS0109827         | M 73 Expired            |                                                                                   |  | BYS0109827                  | M 72 125/क          |                                                                                     |                          |  |
| माणकचंद            | पिता जैनारायण           |  |  | 577 माणकचंद                 | पिता जैनारायण       |  | <input type="checkbox"/> |  |
| BYS0110445         | M 81 Expired            |                                                                                   |  | BYS0110445                  | M 80 174            |                                                                                     |                          |  |

कुल संख्या :

3

संलग्न-4

**विधानसभा की मतदाता सूची में मतदाताओं की संशोधित जानकारी**  
**नगरपालिका वार्ड अथवा पंचायत की मतदाता सूची में संशोधित करने के लिए वेरिफिकेशन हेतु सूची**  
**संशोधन - वेरिफिकेशन सूची**

नगर पालिका परिषद - हरदा

जिला : हरदा

वार्ड संख्या : 1 , भाग संख्या : 1

| विधानसभा में विवरण |                     |                                                                                     |  | नगरीय निकाय में विवरण       |                     |                                                                                       |                          |  |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| निर्वाचक का नाम    | पिता/पति का नाम     | फोटो                                                                                |  | मतदाता क्र. निर्वाचक का नाम | पिता/पति का नाम     | फोटो                                                                                  | सत्यापन मार्किंग         |  |
| ईपिक संख्या        | लिंग आयु गृह संख्या |                                                                                     |  | ईपिक संख्या                 | लिंग आयु गृह संख्या |                                                                                       | (√/X)                    |  |
| अंगूरी             | पति बद्रीप्रसाद     |    |  | 84 अंगूरी                   | पति बद्रीप्रसाद     |    | <input type="checkbox"/> |  |
| MP/28/227/042086   | F 49                |                                                                                     |  | MP/28/227/042086            | F 48 14             |                                                                                       |                          |  |
| विमला              | पति मनोरीलाल        |    |  | 87 विमला                    | पति मनोरीलाल        |    | <input type="checkbox"/> |  |
| MP/28/227/042087   | F 56                |                                                                                     |  | MP/28/227/042087            | F 55 16             |                                                                                       |                          |  |
| सावित्री           | पति विजय            |    |  | 93 सावित्री                 | पति विजय            |    | <input type="checkbox"/> |  |
| MP/28/227/042268   | F 49                |                                                                                     |  | MP/28/227/042268            | F 48 17             |                                                                                       |                          |  |
| सत्यनारायण         | पिता भीकू           |    |  | 292 सत्यनारायण              | पिता भीकू           |    | <input type="checkbox"/> |  |
| MP/28/227/042137   | M 56                |                                                                                     |  | MP/28/227/042137            | M 55 71             |                                                                                       |                          |  |
| प्रभा              | पति बालाराम         |    |  | 498 प्रभा                   | पति बालाराम         |    | <input type="checkbox"/> |  |
| MP/28/227/042338   | F 51                |                                                                                     |  | MP/28/227/042338            | F 50 125            |                                                                                       |                          |  |
| अशोक               | पिता मुख्तियार      |   |  | 581 अशोक                    | पिता मुख्तियार      |   | <input type="checkbox"/> |  |
| BYS4680369         | M 51                |                                                                                     |  | BYS4680369                  | M 50 146            |                                                                                       |                          |  |
| चंद्रावती          | पति अशोक            |  |  | 582 चंद्रावती               | पति अशोक            |  | <input type="checkbox"/> |  |
| BYS4680344         | F 46                |                                                                                     |  | BYS4680344                  | F 45 146            |                                                                                       |                          |  |
| अरविन्द            | पिता तुलसीराम       |  |  | 624 अरविन्द                 | पिता तुलसीराम       |  | <input type="checkbox"/> |  |
| WMQ0789255         | M 22                |                                                                                     |  | WMQ0789255                  | M 21 150            |                                                                                       |                          |  |
| जगदीश              | पिता किसन           |  |  | 733 जगदीश                   | पिता किसन           |  | <input type="checkbox"/> |  |
| BYS4660791         | M 49                |                                                                                     |  | BYS4660791                  | M 48 177            |                                                                                       |                          |  |
| पार्वती            | पति जगदीश           |  |  | 734 पार्वती                 | पति जगदीश           |  | <input type="checkbox"/> |  |
| BYS4457354         | F 44                |                                                                                     |  | BYS4457354                  | F 43 177            |                                                                                       |                          |  |

कुल संख्या :

10

## प्रारूप मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का

## प्रमाण-पत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 04 के तहत जिले..... की नगरपालिका..... के लिये दिनांक 01 जनवरी..... के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक..... को किया गया है।

दिनांक.....

नाम.....

स्थान.....

\*रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/प्राधिकृत कर्मचारी

जिला.....

नगरपालिका.....

\*वार्ड क्रमांक.....

---

\* जो लागू न हो उसे काट दे।

## अंतलतत ततदलतल सूची के सलरुवनलक तुरकलशन कल

## तुरतलण-ततुर

\*तुरतलणलत कलतल ऑलतल है कल तधुतुरदेश नगरतललकल नलरुवन नलतत, 1994 के तहत ऑलले..... की नगरतललकल..... के ललते दलनलंक 01 ऑनवरी..... के संदरुत तें तुोटुतुत ततदलतल सूची कल अंतलत तुरकलशन दलनलंक..... कु कलतल गतल है।

दलनलंक.....

नलत.....

सुथलन.....

\*रऑलसुतुरीकरण अधलकलरी/तुरलधलकुत कुरुतलरी

ऑलल.....

नगरतललकल.....

\*वलरुद कुरुतलंक.....

---

\* ऑु ललऑू न हु उसे कलट दे।



परिशिष्ट-एक

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
निर्वाचन भवन  
58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011

-0-

भोपाल, दिनांक: 04/01/2021

क्रमांक-एफ-52NN-01/2021/पांच/25 :: मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-3 एवं 8 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा नगरपालिकाओं के निर्वाचन हेतु 01 जनवरी 2021 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु निम्नांकित कार्यक्रम निर्धारित करता है।

| क्रमांक                                                                                    | कार्यवाही                                                                                                                                                                                                                                          | उत्तरदायित्व                      | समयसीमा<br>(अंतिम तारीख) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1.                                                                                         | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति।                                                                                                                                                                                   | कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी | 05 जनवरी 2021            |
| 2.                                                                                         | प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति, दावे आपत्ति केन्द्रों का निर्धारण                                                                                                                                                                               | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी              | 06 जनवरी 2021            |
| <b>प्रथम चरण (कंट्रोल टेबल का वेरिफिकेशन, अपडेशन और मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                          |
| 3.                                                                                         | कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट की प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।                                                                                                                                                                                | वेण्डर                            | 05 जनवरी 2021            |
| 4.                                                                                         | कंट्रोल टेबल चैकलिस्ट की प्रति मतदान केन्द्रों के परीक्षण और युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु नगरपालिका के लिए आयुक्त नगरपालिक निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथा पंचायत के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सौंपना। | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी              | 07 जनवरी 2021            |
| 5.                                                                                         | मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपना।                                                                                                                                                   |                                   | 09 जनवरी 2021            |
| 6.                                                                                         | मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उन्हें अंतिम करना और कंट्रोल टेबल में यथासंशोधित करना।                                                                                                             | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी              | 11 जनवरी 2021            |
| 7.                                                                                         | कंट्रोल टेबल का परीक्षण करना और संशोधन होने पर निर्देशानुसार यथोचित हस्ताक्षर करना एवं कंट्रोल टेबल का डिजिटल हस्ताक्षर से वेरिफिकेशन।                                                                                                             | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी              | 15 जनवरी 2021            |
| <b>द्वितीय चरण (प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना)</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                          |
| 8.                                                                                         | शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची ERMS से जेनरेट कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना।                                                                                                                            | वेण्डर                            | 20 जनवरी 2021            |
| 9.                                                                                         | शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची मार्किंग हेतु प्राधिकृत कर्मचारी को उपलब्ध कराना।                                                                                                                                  | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी              | 21 जनवरी 2021            |
| 10.                                                                                        | शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची में मार्किंग कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।                                                                                                                               | प्राधिकृत कर्मचारी                | 23 जनवरी 2021            |

| क्रमांक                                         | कार्यवाही                                                                                                                                                        | उत्तरदायित्व                            | समयसीमा<br>(अंतिम तारीख)                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 11.                                             | शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची में प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा की गई मार्किंग की रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जाँच एवं वेरिफिकेशन। | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी                    | 27 जनवरी 2021                                         |
| 12.                                             | मार्कड शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची ERMS में प्रविष्टि हेतु वेण्डर को सौंपना।                                                 | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी                    | 27 जनवरी 2021                                         |
| 13.                                             | शिफ्टिंग, विलोपन और संशोधन की कार्यवाही ERMS के माध्यम से पूर्ण कर चैकलिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदान करना।                                                 | वेण्डर                                  | 29 जनवरी 2021                                         |
| 14.                                             | चैकलिस्ट की जाँच करना और जाँच उपरांत परिलक्षित त्रुटियों को सुधारने के लिए चैकलिस्ट वेण्डर को वापस करना।                                                         | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी                    | 30 जनवरी 2021                                         |
| 15.                                             | त्रुटियों को सुधार कर एकीकरण कर फोटोरहित और फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची जेनरेट करना।                                                                           | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेण्डर         | 02 फरवरी 2021                                         |
| 16.                                             | फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड करना।                                                                                                              | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी                    | 02 फरवरी 2021                                         |
| 17.                                             | फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदाय करना।                                                                                  | वेण्डर                                  | 06 फरवरी 2021                                         |
| 18.                                             | 1. नगरपालिका की प्रारूप मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को उपलब्ध करना।<br>2. स्टेण्डिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन।                           | कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) | 08 फरवरी 2021                                         |
| 19.                                             | फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का नगरपालिका वार्ड एवं अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन।                                                                    | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी                    | 08 फरवरी 2021                                         |
| 20.                                             | प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किए जाने संबंधी प्रमाणपत्र स्कैन कर अपलोड करना।                                                                         | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी                    | 09 फरवरी 2021                                         |
| <b>तृतीय चरण (अंतिम मतदाता सूची तैयार करना)</b> |                                                                                                                                                                  |                                         |                                                       |
| 21.                                             | दावा आपत्ति केन्द्र पर दावे आपत्ति प्राप्त करने की अवधि।                                                                                                         | प्राधिकृत कर्मचारी                      | 08 फरवरी से<br>15 फरवरी 2021<br>अपरान्ह: 03.00 बजे तक |
| 22.                                             | दावा आपत्ति आवेदन पत्रों के निराकरण की अंतिम तिथि।                                                                                                               | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी                    | 20 फरवरी 2021                                         |
| 23.                                             | निराकृत दावा आपत्ति आवेदन पत्रों की ERMS में प्रविष्टि की अंतिम तिथि।                                                                                            | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी                    | 23 फरवरी 2021                                         |
| 24.                                             | दावे आपत्ति की चैकलिस्ट तैयार करना                                                                                                                               | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी                    | 23 फरवरी 2021                                         |
| 25.                                             | चैकलिस्ट की जाँच कर त्रुटि सुधार उपरांत वेण्डर को वापस करना।                                                                                                     | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी                    | 24 फरवरी 2021                                         |
| 26.                                             | फोटोयुक्त और फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची जेनरेट करना।                                                                                                             | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं वेण्डर         | 26 फरवरी 2021                                         |
| 27.                                             | फोटोरहित अंतिम मतदाता सूची को वेबसाइट पर अपलोड करना।                                                                                                             | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी                    | 27 फरवरी 2021                                         |

// 03 //

| क्रमांक | कार्यवाही                                                                                            | उत्तरदायित्व         | समयसीमा<br>(अंतिम तारीख) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 28.     | फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची को मुद्रित कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना।                      | वेण्डर               | 02 मार्च 2021            |
| 29.     | फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का नगरपालिका वार्ड तथा अन्य विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन।          | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी | 03 मार्च 2021            |
| 30.     | अंतिम मतदाता सूची की फोटोरहित सी.डी. विक्रय के लिए उपलब्ध कराना।                                     | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी | 03 मार्च 2021            |
| 31.     | नगरपालिका की फोटोयुक्त मतदाता सूची मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को निःशुल्क उपलब्ध कराना। | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी | 04 मार्च 2021            |
| 32.     | फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाशन का प्रमाणपत्र स्कैन कर अपलोड करना।                  | रजिस्ट्रीकरण अधिकारी | 04 मार्च 2021            |

5/3/21  
(डी. व्ही. सिंह) 4.1.2021  
सचिव

म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग